राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email- pdme2k.rdd@rajasthan.nic.in)

क्रमांक प. 1(124) ग्रावि/अनु–8/नीति आयोग/2017 जयपुर, दिनांक :–17/04/2020

वीडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण

उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17.4.2020 को समस्त जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परियोजना प्रबन्धक, राजीविका एवं जिला परिषद के अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग आयोजित की गयी। राज्य स्तरीय से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग हेतु निर्धारित एजेण्डा अनुसार विभिन्न जिलों की समीक्षा की गयी।

विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रा.वि. एवं पंराज के नेतृत्व में संबंधित राज्य स्तर अधिकारी पर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग में उपस्थित रहे।

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय द्वारा कोरोना महामारी के कारण राज्य में लोक डाउन के दौरान पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा अभी तक किये गये कार्यों एवं प्रभावी भागीदारी के लिए सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगामी कार्य योजना के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये।

1. डब्ल्यू. एच. ओ, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में जारी की गयी गाईड लाईन की पालना करते हुए आगामी तीन दिवस में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु श्रम नियोजन एवं अन्य ग्रामीण विकास की योजनाओं के कार्यों के सम्पादन आदि के संबंध में कार्य योजना तैयार कर राज्य स्तर पर भिजवाया जावे।
2. ग्रामीण क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था को सामान्य बनाये रखने के लिए गरीब मजदूरों को आर्थिक रूप से सम्बल बनाने के लिए नरेगा कार्यों पर अधिक से अधिक श्रम नियोजन करने के निर्देश दिये।
3. जिले एवं ब्लॉक के सभी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखें। उनकी सभी समस्याओं का निराकरण करें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता

में सरकार के प्रति विश्वास की भावना जागृत हो सके कि सरकार इस कठिन परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। किसी भी मजदूर, संविदा कार्मिक का भुगतान बकाया नहीं रहे, यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाये।

4. ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठन, भामाषाओं से निरन्तर वार्ता कर ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता की आजीविका उपलब्ध कराने हेतु अधिक से अधिक जन सहयोग एकत्रित करें। कोविड–19 के बचाव के लिए आवश्यक संसाधन, खाद्य सामग्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि की व्यवस्थाओं का पूरा–पूरा ध्यान रखें।
5. एमएलए लैड, एमपी लैड योजनाओं में कोविड–19 के संबंध में जो अभिशंषाऐं माननीय सांसद एवं विधायकगणों से प्राप्त हुई है उन पर तत्परता से कार्यवाही करें। शीघ्र आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर अधिक से अधिक सुविधाऐं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मुहैया करायें।
6. राजीविका के माध्यम से मास्क बनवायें जाऐं और क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वितरित किये जायें।
7. जिलों के पास उपलब्ध राशि के उपयोग करने की कार्य योजना निर्धारित की जाऐ। प्रधान मंत्री आवास, महात्मा गांधी नरेगा में व्यक्तिगत लाभ के अधिक से अधिक कार्य करायें जाऐं, जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। समय पर राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाये, जिससे ग्रामीण जनता को आर्थिक मदद मिल सके।
8. ग्रामीण विकास के कार्यों के निष्पादन के दौरान कोविड–19 की गाईड लाईन का कठोरता से पालना कराया जाये। कार्यों के दौरान भीड़ आदि एकत्रित होने के कारण नकारात्मक परिणाम परिलक्षित होने की स्थिति उत्पन्न न हों, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
9. महात्मा गांधी नरेगा में जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उसके अनुसार मजदूरों के हाथ धुलवाना, स्थानीय मास्क (गमछा), व्यक्तिगत दूरी बनाये रखते हुए मजदूरों का नियोजन आदि व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाये।
10. टोंक जिले में संविदा कार्मिक नियोजन हेतु लगायी गयी एजेन्सी द्वारा कार्मिकों को कम भुगतान दिये जाने के संबंध में जो मामला प्रकाश में आया है उसकी विस्तृत रिपोर्ट भिजवाने एवं नियमानुसार यथायोचित कार्यवाही करने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक को दिये गये।

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रावि एवं पंराज द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के दौरान एजेण्डावार समीक्षा की तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

1. ग्राम पंचायत स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये। ग्राम पंचायत पर कोर ग्रुप बनाये जाने के संबंध में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा जो निर्देश जारी किये गये हैं, उसी अनुसार ग्राम पंचायत के सहयोग से कौर ग्रुप का गठन किया जाये। ग्राम पंचायत के सरपंच सम्मानित मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। इस आशय से सरपंच संघ के अध्यक्षों को अवगत कराया जाये कि कौर ग्रुप की गतिविधियां उनके मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत के सहयोग से ही सम्पन्न होनी है।
2. राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रति ग्राम पंचायत 50 हजार, प्रति पंचायत समिति 1 लाख एवं प्रति जिला परिषद 1.50 लाख की राशि करोना महामारी की रोक–थाम जिसमें मास्क, सेनेटाईजर, सोडियमहाईपोक्लोरेट कोरोना वाईरस (कोविड–19) संक्रमण के बचाव हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाये।
3. ग्रामीण वकास एवं पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओं में पर्याप्त धनराशि जिला परिषदों, पंचायत समितियों में उपलब्ध है। इस राशि का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान की राशि 200 करोड़ तथा कोविड–19 की महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए 56.72 करोड़ (रू. 50 हजार प्रति ग्राम पंचायत) हस्तान्तरित किये जाने की सहमति प्राप्त हो गयी है। यह राशि शीघ्र ही जिलों को हस्तान्तरित की जा रही है।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायकों, पम्प चालकों एवं अन्य अनुबन्धित कार्मिकों के मानदेय भुगतान शतप्रतिशत करने के निर्देश दिये गये। करीब 6 हजार पंचायत सहायकों का मानदेय भुगतान होना बकाया है। इन कार्मिकों को कोरोना महामारी रोकथाम आदि के कार्यों पर लगाया हुआ है। सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्तिशः सुनिश्चित करें कि किसी भी कार्मिक का मानदेय भुगतान किया जाना शेष नहीं रहे।
6. महात्मा गांधी नरेगा में विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुए अधिक से अधिक श्रम नियोजित करें। प्रत्येक मजदूर के चार बार हाथ धुलवायें। नरेगा मेडिकल किट में साबुन क्रय करने की अनुमति दे दी गयी है।
7. सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि हाथ से बने स्थानीय मास्क (गमछा) आदि अनिवार्य रूप से प्रत्येक श्रमिक एवं नियोजित कार्मिक लगायें।

8. प्रत्येक राजस्व ग्राम में विभागीय दिशा निर्देशानुसार **एक गांव चार काम** के अन्तर्गत मॉडल तालाब, चारागाह विकास, खेल मैदान, श्मशान एवं कब्रिस्तान विकास के कार्य प्राथमिकता से लिये जायें।
9. सामुदायिक विकास कार्य, पंचायत भवन, आंगनबाडी भवन, सड़क, खरंजा निर्माण के कार्य कराये जायें। सिंचाई, जल संरक्षण आदि के कार्य जल संसाधन, जलग्रहण विकास, वन एवं पर्यावरण, कृषि एवं वानिकी तथा सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के सहयोग से अधिक से अधिक कार्य कराये जायें।
10. प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कार्यों को लक्ष्य अनुसार पूर्ण कराये जायें, जिसमें प्रत्येक आवास पर 90 दिवस का रोजगार सृजन किया जा सकता है, ऐसे कार्यों को प्राथमिकता से चालू करा कर पूर्ण कराने की कार्यवाही की जाये।
11. महात्मा गांधी नरेगा में व्यक्तिगत लाभ के कार्य अधिक से अधिक करायें जिससे सोसियल डिस्टेन्सिंग की पालना करते हुए अधिक से अधिक श्रम नियोजन संभव हो सकता है।
12. राजीविका के माध्यम से हैंड मास्क तैयार करवाने की कार्यवाही की जाये। स्वयं सहायता समूहों को आवश्यक कच्चा माल जिला प्रशासन के सहयोग से उपलब्ध कराया जाये। स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये मास्क आवश्यकतानुसार वितरित कराये जायें, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा और सस्ती दर पर मास्क भी उपलब्ध हो सकेगें।
13. स्वच्छ भारत मिशन को भी भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों में छूट प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यों को भी कराया जाये।
14. एसएफसी, एफएफसी के दिशा निर्देशों में भोजन, राशन वितरण एवं साबुन क्रय शामिल नहीं है। इन निर्देशों की कठोरता से पालना की जाये।
15. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माहत्मा गांधी नरेगा, प्रधान मंत्री आवास योजना, राजीविका, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं, स्वच्छ भारत मिशन आदि में लोक डाउन के दौरान जो कार्य कराये जाने हैं, उनकी विस्तृत कार्य योजना तैयार कर शीघ्र भिजवायें तथा उसकी क्रियान्विति भी करें, जिससे ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके तथा इस कठिन परिस्थिति में विभाग उनके संरक्षक के रूप में उभर के सामने आये।
16. जनता जल योजना में लगे गरीब 58 प्रतिशत कार्मिकों के मानदेय भुगतान नहीं होने के मामले सामने आये हैं। सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसे गंभीरता से लेवें तथा समस्त को भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा द्वारा भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 27 मार्च 2020, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रालय के संयुक्त निर्देश दिनांक 27 मार्च 2020 एवं विभागी पत्र दिनांक 30 मार्च, 2020 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा कार्यों पर श्रम नियोजन के संबंध में जो दिशा निर्देश दिये गये है उनकी पालना करते हुए महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों को प्रारम्भ करने के संबंध में अवगत कराया।

1. व्यक्तिगत लाभ के अधिक से अधिक कार्य कराये जाये।
2. प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण के आवास निर्माण हेतु 90 दिवस की मस्टररोल जारी कर अधिक से अधिक श्रम नियोजित किया जाये।
3. श्रमिकों को 15 दिवस का कार्य एक साथ आवंटित किया जाये।
4. महात्मा गांधी नरेगा कार्यों पर नियोजित श्रमिकों के चार बार साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की जाये।
5. भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार प्रपत्र 6 के पंजीयन की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए दूरभाष, कॉल सेन्टर के माध्यम से कार्य नियोजन के लिए की गयी मांग को स्वीकार किया जाये।
6. 1 मई, 2020 श्रम दिवस को नरेगा श्रमिकों का अवकाश रहेगा। 1 मई 2020 के अवकाश का कार्य आगामी गुरूवार माह मई 2020 को पूर्ण कराया जावे।
7. तापमान की वृद्धि को देखते हुए नरेगा कार्यों के समय परिवर्तन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकृत होगें। सभी जिले उक्तानुसार अपने अपने जिले के समय परिवर्तन हेतु आदेश जारी कर सकेगें। इस कार्यवाही विवरण को ही आधार माना जाये।
8. महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों का भुगतान समय पर किया जाये। राज्य में कई ऐसे प्रकरण सामने आये हैं, कि महिला श्रमिकों के पति राज्य के बाहर बडे शहरों में रह रहे हैं। लॉक डाउन के कारण बडे शहरों में रहने वाले व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नियां नरेगा कार्यों से प्राप्त वाले भुगतान को अपने पति की आजीविका निर्वहन हेतु भेज रही है।
9. लॉक डाउन के दौरान रोजगार नहीं होना आजीविका के अन्य साधन नहीं होना जैसी विकट परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को नरेगा के माध्यम से रोजगार देवें तथा समय पर भुगतान करें, जिससे गरीब लोगों को सम्बल मिल सके।

10. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सभी जिलों ने गत समय में अच्छा कार्य किया, उसी गति को कायम रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों एवं कार्यों को संचालित करें।
11. अलवर, उदयपुर, चुरू, हनुमानगढ, करौली, स0माधोपुर, श्रीगंगानगर, राजसमंद एवं जैसलमेर ऐसे जिले है जहां श्रम नियोजन गत वर्ष की तुलना में कम है। सभी एडीपीसी इस पर विशेष ध्यान देवें। अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करें तथा निरन्तर मॉनिटरिंग कर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करावें।

स्टेट मिशन निदेशक द्वारा राजीविका के माध्यम से किये जाने वाले कार्यों के संबंध में अवगत कराया। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मास्क बनाये जा सकते है, जिससे आर्थिक गतिविधि संचालन को गति मिलेगी। जहां मास्क की मांग है वहां मास्क आपूर्ति की कार्यवाही की जा सकती है।

1. मास्क बनाने हेतु कपड़े की उपलब्धता जिला प्रशासन के सहयोग से की जा सकती है।
2. स्वयं सहायता समूहों द्वारा खाद्य सामग्री वितरण में जिला प्रशासन का सहयोग किया है। मसाला उत्पादन, सार्वजनिक रसोई में स्वयं सहायता समूह का उपयोग लिया जा सकता है। सभी जिला परियोजना प्रबन्धक जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य योजना निर्धारित करें तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लॉक डाउन की स्थिति में अधिक से अधिक अपनी भागीदारी निभाने का प्रयास करें।
3. जिले में मास्क आवश्यकता की पूर्ति स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये मास्क के माध्यम से सुगमता से की जा सकती हैं।

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय द्वारा विभिन्न जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से उनके जिले में अभी तक किये गये कार्यों एवं आगामी कार्य योजना के संबंध में जानकारी ली। सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए वीडियों कांन्फ्रेन्सिंग सधन्यवाद समाप्त की गयी।

17/04/20

(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा.वि।
8. जिला कलक्टर, समस्त।
9. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/महात्मा गांधी नरेगा।
10. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी/मोएवंमू।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (LP & SHG),राजीविका।
12. स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
13. अधीक्षण अभियंता, ग्रावि/पंराज/ईजीएस।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
15. सहायक निदेशक, मूल्यांकन,पंचायतीराज
16. सहायक निदेश, प्रचार, ईजीएस।
17. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

17/04/2020

(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)